## मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल

## ः आदेशः

दिनांक .06.2016

क्रमांक /21—अ(स्था.)/गोप./2016, विभागीय आदेश क्र. 1415/21—अ(स्था.), दिनांक 02.03.2013 के अनुक्रम में नियमित आकरिमकता के स्वीपर पद पर नियुक्त श्री धनीराम केवट, (स्वीपर) की दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप उनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त की जाती है।

श्री केवट की आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष पश्चात् नियमानुसार देय होगी तथा इस आदेश से उनके वर्तमान संवर्ग की वरियता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

िर-ता /-(विरेन्दर सिंह) प्रमुख सचिव,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल पृ.क.**03.06** / 1714 / 21—अ(स्था.) / गोप. / 2016, भोपाल, दिनांक **४** .06.2016 प्रतिलिपि:—

1. महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर,

2. अनुभाग अधिकारी, रथापना शाखा/आहरण एवं संवितरण अधिकारी,

3. संबंधित शासकीय सेवक,

4. संबंधित लिपिक / पे—बिल / सेवापुस्तिका / व्यक्तिगत नस्ती की ओर प्रविष्टी हेतु एवं अमई.टी. प्रकोष्ट की ओर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

» (आर.के. वाणी) न्। ४। \ ५, सचिव,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

